THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHAR MURTHY) ; (a) Yes Sir. Finance Commission devolutions are only some of the items of transfer out of the total transfer to the State Governments. In case any State Government defaults in their payment of dues to the Centre, adjustment is made from amounts payable by the Centre to the State Governments including Finance Commission devolutions, if necessary.

(b) A statement showing the amounts of States' dues deducted from the Finance Commission devolutions is laid on the Table of the House *(See* below). Even after these deductions, dues of Assam and J & K to the Ministry of Finance at the end of 1991-92 amounted to Rs. 468 crores and Rs. 144 crores respectively. Information as at the end of 1992-93 cannot as yet be provided till the year is over.

STATEMENT

Deduction of State Government Dues

Amounts of States' dues deducted from the Finance Commission devolutions

(Rs. in crores)

State/Year	*Amount deducted*
1991-92	
Assam	43.90
Jammu & Kashmir	142.43
Nagaland	25.50
Mizoram	2.43
Arunachal Pradesh	2.05
Sikkim	0.57
Orissa	14.89
Kerala	5.81
1992-93 *(Upto February,* 1993)	
Assam	51.76

3501. *[Withdrawn]*

Share of Salary in the Annual Budget

3502. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the amount being paid annually to Government employees and the employees of Public Undertakings on account of salary; and

(b) what is the percentage-wise share of this amount from the annual bedget for the last five financial years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHAR MURTHY) : (a) The estimates of emoluments of the Central Government employees (excluding defence service personnel) and the employees of Central Public Undertakings during the last five years are as follows :

Year	Employments	(Rs. in crores)
	Govt. employees	Central Public undertakings employees
1987-88	7,343	7,123
1988-89	8,336	8,683
1989-90	9,255	9,*42
1990-91	10,355	10,112
1991-92	11,469	12,346

(b) The percentage-wise share of the estimated annual expenditure on emoluments of Central Government employees (excluding Defence service personnel) in the annual budget for the last five years is as follows :—

Year	Percentage
1987-88	10.71
1988-89	10.44
1989-90	9.78
1990-91	9.55
1991-92	9.37

The emoluments of employees of Central Public Sector Undertakings are not reflected in the Budget of the Government of India.

शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति पर आयकर की छूट

3503. श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा पर हो रहे व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके बच्चों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है और क्या सरकार इस धनराशि को पर्याप्त समझती है;

(ग) क्या सरकार शिक्षण-शुल्क की प्रतिपूर्ति की राशि को बढ़ाने के बारे में विचार करेगी;

(घ) क्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि पर आयकर लगाया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को आयकर से छूट पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (ई०) आदेश, 1988 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चों को कक्षा I से XII तक के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति अनुमत्य है, जो मान्यता-प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं।

(ख) और (ग)

कक्षा I से X —20 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा।

कक्षा X से XII —25 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा।

कक्षा I से III—शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के संबंधों में 50 रुपये प्रतिमाह प्रति-बच्चा।

टिप्पणी :—

कक्षा IX से XII में पढ़ने वाले तथा विज्ञान विषयों को लेने वाले बच्चों के मामले में ट्यूशन-फीस के अलावा 5 रुपये प्रतिमाह की सीमा तक "विज्ञान फीस" की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

प्रतिपूर्ति की राशि को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) चूंकि ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति एक परिलब्धि है, इसलिए यह आयकर अधिनियम के अधीन कर योग्य है । फिर भी, दिनांक 27 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या का० आ० 259 (अ) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 27 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या का० आ० 144(अ) के अधीन अधिकतम दो बच्चों तक 50/- रुपए प्रतिमाह प्रति बच्चे की सीमा तक शिशु शिक्षा भत्ते को आयकर अधिनियम की धारा 10(14) (II) के अधीन छूट प्राप्त है ।